

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, अनुभाग-2

अधिसूचना

05 अगस्त, 2025 ई0

संख्या-I/320090/2025/XXVIII-2-2025/e-file. No.-32750—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा-70(3) के प्राविधानानुसार श्री विजयंत कुमार, पीठासीन अधिकारी, औद्योगिक न्यायाधिकरण—सह—श्रम न्यायालय, हल्द्वानी, जिला नैनीताल को पीठासीन अधिकारी, खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, जिला नैनीताल का अतिरिक्त प्रभार प्रदान किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2— खाद्य सुरक्षा अपीलीय न्यायाधिकरण, हल्द्वानी, जिला नैनीताल में सम्बन्धित पीठासीन अधिकारी की सेवा के निबन्धन और शर्तें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2011 के नियम-3.2.2 के अनुसार अनुमन्य होंगी।

3— यह अधिसूचना रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय, उत्तराखण्ड, नैनीताल के पत्र संख्या-4573/XIII-b-3/Admin.A/2012 दिनांक 22.07.2025 में की गयी अनुशंसा के अनुक्रम में निर्गत की जा रही है।

आज्ञा से,
डॉ0 आर0 राजेश कुमार,
सचिव।

टिप्पणी—राजपत्र, दिनांक 16-08-2025, भाग 1 में प्रकाशित।

[प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित—]

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 05 चिकित्सा/384-08-09-2025-100 प्रतियां (कम्प्यूटर/रीजियो)